न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 25/019 — तारीख रजू 25.02.2019

गंगा पुत्री परभात्या पत्नी देवीराम जाति बैरवा निवासी जाहिरा तहसील नादौती जिला करौली

:—अपीलान्ट

बनाम

1 प्रभाती पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी जाहिरा तहसील नादौती जिला करौली

2 तहसीलदार तहसील नादौती जिला करौली — रेस्पोडेण्ट

<u>अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 16.01.2019 प्रकरण सं. 1/2014 नामांतकरण संख्या 438 गंगावाई बनाम परभात्या न्यायालय तहसीलदार नादौती</u>

<u>निर्णय</u> — दिनांक 28.08.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है। कि अपीलान्ट की ओर से वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार नादौती के निर्णय दिनांक 16.01.2019 प्रकरण संख्या 1/2014 नामान्तकरण संख्या 438 रंगावाई बनाम परभात्या से अप्रशन्न होकर अवगत कराया गया है कि नामान्तकरण संख्या 438 दिनांक 11.09.2012 ग्राम पंचायत पाल द्वारा अपीलार्थी गंगा पुत्री परभात्या के नाम विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया था जिसके विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती द्वारा गेरकानूनी रूप से नामान्तकरण को निरस्त करने के आदेश दिनांक 18.11.2013 से उक्त प्रकरण पक्षकारो की सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कार्मिक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए तहसीलदार नादौती को रिमाण्ड कर दिया गया। किन्तु मुताविक निर्णय जारीकर्ता कार्मिक के खिलाफ कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नही की गई है। तहसीलदार द्वारा भी उक्त प्रकरण का निस्तारण नही किया गया है। अपीतु उपखण्ड अधिकारी नादौती के निर्णय के खिलाफ द्वितीय अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के यहा पर होने पर उनके निर्णय दिनांक 10.07.2017 द्वारा उपखण्ड अधिकारी का निर्णय को बहाल रखा गया है। जिसमें मात्र नामान्तकरण खारिज होना ही लिख कर खारिज किया गया है। कोई निष्कर्ष आदेश हाजा नही दिये गये है। अपीलाधीन आदेश में लायक अदालत मातहत को नियमानुसार सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए परभात्या की विरासत का निस्तारण करना था की परभात्या पुत्र रामल्या बैरवा निवासी जाहेरा का दिनांक 17.02.1995 को देहान्त हो चुका है। गंगा, परभात्या की एक मात्र उत्राधिकारी ओर विरासत की हकदार है। तहसीलदार ने अपने निर्णय दिनांक 16.01.2019 में रेस्पोडेण्ट के गवाह पप्पू पुत्र रामेता , कंचन पुत्र गिरधारी बैरवा, प्रभू पुत्र सुन्दर मीणा, ठण्डी पुत्र नारायण बैरवा के शपथ पत्र तथा दुसरी ओर गंगा की ओर से रामसहाय पुत्र हरिया बैरवा निवासी पाल काढ पुत्र दीपचन्द बैरवा निवासी पाल ने

उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। जिससे यह तो सावित हो गया है कि गंगा पिता फौत हो चुका है। नामान्तकरण संख्या 438 स्वयं सरपंच द्वारा ही तस्दीक किया गया। ग्राम जाहेरा मे खसरा नं. 735,736,737, गंगा की पुस्तेनी भूमि सयुक्त खातेदारी नाथ्या,माग्या,गंगा ओर छाज्या के नाम सहखातेदार दर्ज होने के आधार पर जमाबंदी थी जब भी नामान्तकरण को गलत तरीके से खारिज किया है। साजिसन सरपंच ग्रामपंचायत पाल की स्वीकारोवित से परभात्या नाम के दो अलग–अलग नाम के व्यक्ति है। परभात्या पुत्र रामपाल को फौत होना बताकर परभात्या पुत्र रामल्या को जिवित बता कर स्वतः ही विरोधी भ्रामक आदेश उपजिला कलक्टर ने पारित किया है। दोनो व्यक्तियो को केवल इस आधार पर विभाजिल किया गया है कि परभात्या रामलाल का तथा दुसरा परभात्या रामल्या का पुत्र बताया गया है। तथा अपने निष्कर्ष मे परभात्या पुत्र रामपाल को फौत होना ओर परभात्या पुत्र रामल्या को जीवीत बताकर गलत मृत्यू प्रमाण पत्र के आधार पर सहवन से नामान्तकरण होना मानकर यह नामान्तकरण खारिक कराया गया है। भम्बू मीना नाम का एक व्यक्ति विवादित जमीन को अपीलार्थी से हडपना चाहता है। परभाती पुत्र रामलाल का नाम का व्यक्ति भम्बू के प्रभाव में है। ओर प्रभाती बैरवा अप्रार्थी के पिता का विरोधी खडा करके हडपने की साजिस की है। तहसीलदार के समक्ष्य प्रभाती नाम का व्यक्ति ने शपथ पत्र में अपने असली हस्ताक्षर किये गये है जिससे स्पष्ट है कि यह व्यक्ति प्रभाती है। न की प्रभात्या। ये दूसरे गॉव से आकर बसा है जो हस्ताक्षर करता है। जवकि परभात्या अनपड होने पर अंगूठा निशानी लगाता है। रामल्या पुत्र रामपाल के दो पुत्र माग्या तथा परभात्या थे उक्त विवादित भूमि 799/1307 पूर्व में ग्राम झाहरा के खसरा नं0 216 चरागाह भूमि थी जिसमें से 5 वीघा भूमि अपीलान्ट के पिता पभात्या पुत्र रामल्या के नाम दिनांक 22.10.1975 को आवंटन हुई थी एवं इसी खसरा नं. मे से 5 वीघा भूमि माग्या पुत्र रामपाल उर्फ रामल्या के नाम से दिनांक 22.10.1975 को भूमि अलोटमेन्ट हुई थी दोनो भाई अनपढ थे ओर निशानी लगाते थे। रेस्पोडेन्ट का नाम परभात्या नही होकर परभाती है। ओर वह रामलाल का पुत्र है। माग्या को जो भूमि अलोटमेन्ट हुई थी उसके नवीन नम्बर 799/1361जो माग्या के पुत्र पप्पू के नाम खातेदारी मे दर्ज है। इसी प्रकार से खसरा नं. 799/1360 अपीलार्थी गंगा के पिता परभात्या के नाम खातेदारी में दर्ज है। भम्बू मीना ने रामल्या के दूसरे पुत्र माग्या की विरासत बाबव भी फर्जी माग्या खडा कर दावा पप्पू पुत्र माग्या के खिलाफ पेश किया गया था किन्तु आज भी यह भूमि अप्रार्थी के चाचा माग्या पुत्र पप्पू के नाम खातेदारी में आ चुकी है। दोनो खास भाई थे परभात्या के विरासत का नामान्तकरण संख्या 438 तत्कालीन सरपंच द्वारा अपीलार्थी गंगा के नाम सही तस्दीक किया गया था। जो सही था भम्बू मीना ने फर्जी परभाती को परभात्या बनाकर उपजिला कलक्टर नादौती के यहा नामान्तकरण निरस्त करवाया गया एवं तहसीलदार नादौती ने विवादित आदेश चालाकी से उपरोक्त तथ्यो की अनदेखी कर विशेष रूप से पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का विना विवेचन किये ही निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है अंत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहसीलदार नादोती का आदेश दिनांक 16.01.2019 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलव करते हुए

नामान्तकरण के पूर्व निरस्तीकरण के आदेश के क्रम में पुनः विना कोई आधार नामान्तकरण निरस्त करने में भूल की है। तहसीलदार ने ये भी जॉच नही की गई है कि अपीलार्थी गंगा का पिता परभात्या पुत्र रामल्या है या नही तथा रामलाल का पुत्र परभाती है। परभात्या अनपढ आदमी था ओर जो परभाती है वो पढा लिखा है। परभात्या पुत्र रामल्या अपीलार्थी गंगा का पिता था उसे ही जमीन आवंटन हुई है। मतहत अदालतो में प्रभाती पुत्र रामलाल को विपक्षी के रूप में परभात्या पुत्र रामल्या बनाकर गलत एवं फर्जीयत कार्यवाही की है। तहसीलदार ने कोई स्पष्ट निर्णय जॉच करके नही दिया गया है जबकी पत्रावलीयो मे गवाहो के रूप मे रामसहाय,काडू आदि ने तस्दीक सुदा शपथ पत्र भी पेश किये गये है। उपजिला कलक्टर ने ही जो निर्णय किया गया है वह भी ब्राहामक है। सरपंच द्वारा इस प्रकरण में साजिस की गई है। प्रभाती झाहरा का स्थाई निवसी नही है। उसको कोई भूमि आवंटन नही हुई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अपनी बहस कथन में कहा है कि नामान्तकरण संख्या 438 ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया था जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी नादौती मे दिनांक 16.09.2013 को परभात्या पुत्र रामल्या ने की गई थी जिसे न्यायालय ने दिनांक 18.11.2013 को स्वीकार करते हुए नामान्तकरण 433 को निरस्त करते हुए पत्रावली तहसीलदार को रिमाण्ड की गई। उपखण्ड अधिकारी नादौती के खिलाफ द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा सभागीय आयुक्त भरतपुर में पेश की गई। संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 10.08.2017 को अपील अपीलान्ट खारिज करते हुए उपखण्ड अधिकारी नादौती का निर्णय यथावत रखते हुए तहसीलदार नादौती को रिमाण्ड होना सही बताया गया। तहसीलदार नादौती नें दोनो ही अपील कोटो की दिशा निर्देशो के अनुशार पक्षकारो को सुना जाकर दिनांक 16.01.2019 को अपने निर्णय में नामान्तकरण संख्या 438 को पूर्व अनुसार खारिज मानकर निर्णय पारित किया गया है। यह अपील अपने आप में तीसरे स्थर पर है जिसे सुनने का अधिकार श्रीमान को न होकर निवंधक राजस्व मण्डल अजमेर को है। अपील अपीलान्ट क्षेत्राधिकार के बहार होने पर खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्षकारान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया की विवादित प्रकरण विरासत के नामान्तकरण 438 निर्णय दिनांक 11.09.2012 से सम्बंधित हैं जिसमे ग्राम जाहरा तहसील नादौती में परभात्या पुत्र रामल्या जाति बैरवा फौत हो जाने पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.09.2012 को परभात्या के वारिस गंगा पुत्री परभात्या के नाम दर्ज करते हुए भू–अभिलेख निरिक्षक से जॉच करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत पाल द्वारा यह नामान्तकरण दिनांक 11.09.2012 को स्वीकार किया गया। इस स्वीकृत नामान्तकरण की अपील उपखण्ड अधिकारी के यहा पर परभात्या पुत्र रामल्या जाति बैरवा द्वारा अपील करने पर उपखण्ड अधिकरी ने ग्राम पंचायत पाल के द्वारा मृतक परभात्या पुत्र रामल्या का मृत्यू प्रमाणपत्र संख्या 7 दिनांक 4.05.2010 को साजिसी बताकर तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि पक्षकारो को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही करे। किन्तु अपीलार्थी ने उसकी अपील संभागीय आयुक्त भरतपुर के करने पर संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय

थी। इस बावत अपने चाचा माग्या का पुत्र पप्पू से भी कोई जॉच नही करवाई गई है साथ ही जो मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया था जिसकी कोई अपील जिला सांखिकी अधिकारी के यहा नियमानुसार नही कि गई है ग्राम पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के वाद वापिस लेने का अधिकार नही है। मुताबिक अपीलान्ट के कथनो अनुसार जो व्यक्ति परभात्या पुत्र रामल्या बन कर आ रहा है वह वास्तव में इस गॉव का ना हो कर अन्य गॉव से आकर बसा है उसका असली नाम परभाती पुत्र रामलाल है। वहा पर यह कि गंगा परभात्या की पुत्री है,पिता पुत्री आपस मे जानते ही है किन्तु इस अभिभाषक के कथनोअनुसार पत्रावली में तहसीलदार द्वारा ऐसी कोई जॉच नही की गई है। मात्र अपने निर्णय में ये अंकित किया गया की परभात्या पुत्र रामल्या प्रस्तुत गवाहो के तस्दीक शुदा शपथ पत्रो से ही परभात्या को जीवित बताकर भूमि को कास्त करने हेतु बटाई पर देना जाहिर करते है। प्रकरण को अपराधिक मामला बताकर नामान्तकरण संख्या 438 को उपखण्ड अधिकारी नादौती के निर्णय के अनुसार ही निरस्त मानते हुए अपना निर्णय पारित कर दिया है। वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कथन था की प्रश्नगत प्रकरण इस न्यायालय को सुनने का अधिकार नही है। बहा पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार नादौती के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। यह निर्णय अन्य अपीलीय न्यायालयो के निर्देशो अनुसार सुनी गई है। जो अपने आप में तीसरी अपील की श्रेणी मे आती है। जिसका अधिकार इस न्यायालय को न होकर राजस्व मण्डल अजमेर के क्षेत्राधिकार में है। हम इस प्रकरण में तहसीलदार के निर्णय में किसी प्रकार का परिर्वतन करना उचित नही समझते है। वकील रेस्पोडेण्ड नं. 1 के कथनो से सहमत है। हस्तगत प्रकरण स्वीकार योग्य नही हैं।

अतः अपील अपीलान्ट इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में चाराजोई करने में स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार नादौती को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक२८.08.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति0 जिला कलक्टर
करौली